संख्या- 72/2022/694/002-23-9-2022-7डी0डी0-2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2022

विषय -वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग के चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-321/सीई-एचक्यू1/पीडीडीयूवाई/एजेडएम/2022-23, दिनांक 13.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के 07 कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त 07 चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-9 के अनुसार निम्न विवरणानुसार कुल रू0 1,22,14,000/- (रूपये एक करोड़ बाईस लाख चौदह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आजमगढ़	पवईखैरूद्दीनपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-4 से भुखली सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	48/2021/आ0-131/23-9-2020-05डी0डी0/2020, दि0 25.02.2021	97.32	77.86	3.88	15.58	15.58
2	आजमगढ़	शाहगंज अकबरपुर मार्ग से धुधुरी सम्पर्क मार्ग के चै0-1.50 से नरवारी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	48/2021/आ0-131/23-9-2020-05डी0डी0/2020, दि0 25.02.2021	103.65	82.92	4.5	16.23	16.23
3	आजमगढ़	लुम्बिनी दुग्धी मार्ग से बागबहार नहर की पटरी होते हुए सदरपुरबरौली तक मार्ग के चै0-23.460 से सदरपुर बरौली उत्तरी भरौटी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	48/2021/आ0-131/23-9-2020-05डी0डी0/2020, दि0 25.02.2021	138.88	111.1	2.57	25.21	25.21
4	आजमगढ़	नन्दांव से टिकरिया परियान बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	48/2021/आ0-131/23-9-2020-05डी0डी0/2020, दि0 25.02.2021	196.18	156.94	14.97	24.27	24.27
5	आजमगढ़	आजमगढ़एन)वाराणसी मार्ग -0एच0-233) कि0मी0-73 से अदरसपुर यादवबस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	48/2021/आ0-131/23-9-2020-05डी0डी0/2020, दि0 25.02.2021	153.28	122.62	14.9	15.76	15.76
6	आजमगढ़	रानी की सराय निजामाबाद मार्ग अजि)0मा0) के कि0मी0-6 से मारूफपुर हादीअली सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	48/2021/आ0-131/23-9-2020-05डी0डी0/2020, दि0 25.02.2021	98.32	78.66	7.46	12.20	12.20
7	आजमगढ़	संजरपुर मोहनपुर मार्ग कि0मी0-3 से कुजियारी चैहान एवं मुसहर बस्तीसम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	48/2021/आ0-131/23-9-2020-05डी0डी0/2020, दि0 25.02.2021	104.15	83.32	7.94	12.89	12.89
		योग						**122.14**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ताापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाप्पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,22,14,000 (रुपये एक करोड़ बाईस लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओंहेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 72/2022/694(1)7-2022-9-23-002/डी0डी0-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in